दिल्ली विकास प्राधिकरण

राजनिवास, दिल्ली में दिनांक 14 जून, 2019 को प्रातः 11 बजे आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत।

निम्नलिखित उपस्थित थेः-

अध्यक्ष

श्री अनिल बैजल
उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

श्री तरुन कपूर

सदस्य

1. श्री के विनायक राव,
   वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.
2. श्री शैलेन्द्र शर्मा,
   अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.
3. श्री के संजय मूर्ति
   अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
4. श्रीमती अर्चना अग्रवाल
   सदस्य सचिव, एन.सी.आर.पी.बी.
5. श्री विजेन्द्र गुप्ता, विधायक और
   विधान सभा, दिल्ली रा.रा. क्षेत्र में विपक्ष के नेता
6. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
7. श्री एस.के. बग्गा, विधायक
8. श्री ओ.पी. शर्मा, विधायक
9. श्री मनीष अग्रवाल,
   निगम पार्षद, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

Scanned with CamScanner

सचिव

श्री डी. सरकार
आयुक्त एवं सचिव, दि.व.प्रा.

विशेष रूप से आमंत्रित

1. श्रीमती रेणु शर्मा
   अपर मुख्य सचिव (वित्त), रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
2. डॉ दिलराज कौर
   आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम
3. डॉ राजेश कुमार
   प्रधान आयुक्त (आवास, सी.डब्ल्यू.जी. एवं खेल)
4. श्री मनीष कुमार गुप्ता
   प्रधान आयुक्त (भूमि निपटान, भूमि प्रबंधन, प्रणाली एवं समन्वय), दि.वि.प्रा.
5. श्री श्रीपाल
   प्रधान आयुक्त (कार्मिक, उद्यान एवं भूदृश्य), दि.वि.प्रा.

उपराज्यपाल सचिवालय

1. श्री विजय कुमार
   उपराज्यपाल के प्रधान सचिव
2. श्रीमती रुचिका कत्याल
   उपराज्यपाल के संयुक्त सचिव

I. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष रूप से आमंत्रित व्यक्तियों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

मद सं. 28/2019

दिनांक 21.02.2019 और 25.02.2019 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठकों के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

एफ.2.(2)2019/एम.सी./डी.डी.ए.

Scanned with CamScanner

मद सं. 02/2019 के पैरा (viii) में उल्लिखित श्री ओ.पी. शर्मा द्वारा किए गए अवलोकन को कार्यवृत्त में दर्ज किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

"सैनी एन्क्लेव, चित्रा विहार, राजधानी एन्क्लेव और कड़कड़डूमा में अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आवासीय क्षेत्रों में इन अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों करके इन क्षेत्रों का दुरुपयोग करने के कारण इन्हें सील किया जाना चाहिए।"

उक्त कार्यवृत्त में किया गया संशोधन निम्नानुसार है:-

"राजधानी एन्क्लेव में अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों को सील किया जाना चाहिए, चित्रा विहार और कड़कड़डूमा में अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए और अदालत में मामला लड़ने के लिए सैनी एन्क्लेव के आर.डब्ल्यू.ए. से पेपर प्राप्त किया जाना चाहिए।"

दिनांक 21.02.2019 और 25.02.2019 को हुई प्राधिकरण की बैठक के शेष कार्यवृत्त यथा परिचालित कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद सं. 29/2019

दिनांक 21.02.2019 और 25.02.2019 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

एफ.2(3)2019/एम.सी./डी.डी.ए.

प्राधिकरण के सदस्यों ने दिनांक 21.02.2019 और 25.02.2019 को हुई प्राधिकरण की बैठकों के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (ए.टी.आर.) के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की:

श्री विजेंद्र गुप्ता

i) दि.वि.प्रा. को एक वर्ष या उससे अधिक हेतु रिक्त भूमि की नीलामी करने के लिए एक नीति बनानी चाहिए, ताकि यह तब तक विवाह और अन्य समारोह हेतु किराए पर दी जा सके जब तक कि भूमि का उसके अपने इच्छित उद्देश्य हेतु उपयोग न किया जाए।
ii) दि.वि.प्रा. को सभी विभागों में सीधे प्रवेश स्तर पर नियमित रूप से नियुक्तियाँ करके भर्ती नियमों के अनुसार रिक्त पदों को भरना चाहिए। पदोन्नति की प्रक्रिया

Scanned with CamScanner

को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो वर्तमान ड्यूटी चार्ज लगाना चाहिए तथा ई-गवर्नेंस शुरू करना चाहिए।

iii) शेष पात्र मामलों में यदि आवश्यक हो तो संविदात्मक नियुक्ति द्वारा अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति की जानी चाहिए।

iv) विभिन्न श्रेणियों में सभी रद्द पट्टों की बहाली हेतु विचार किया जाए।

<u>श्री सोमनाथ भारती</u>

i) पूरी दिल्ली में नर्सरी स्कूलों हेतु चिन्हित किए गए प्लॉटों का सार्वजनिक उपोयग हेतु प्रयोग किया जाए।

ii) खसरा सं. 277, हौज खास में स्थगन प्रावकाश और अनधिकृत निर्माण हटाने हेतु समय-सीमा तय की जानी चाहिए।

iii) बदरपुर ट्रेडर्स यूनियन को आबंटित भूमि हेतु पट्टे की रद्दीकरण संबंधी रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण है क्योंकि नियमानुसार आबंटन किया जा चुका था।

iv) रिक्त पदों को भरने हेतु भर्ती अभियान चलाया जाए।

v) गौतम नगर में उपलब्ध भूमि सामुदायिक सेवाओं हेतु आबंटित की जाए।

<u>श्री ओ.पी. शर्मा</u>

i) दि.वि.प्रा. को समयबद्ध तरीके से इस मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार अपने निर्वाचन क्षेत्र में मार्गाधिकार सड़कों के अतिक्रमण हटाना चाहिए। यह चित्रा एन्क्लेव में व्यावसायिक परिसर हेतु चिन्हित दि.वि.प्रा. भूमि तक पहुंच प्रदान करेगा।

ii) चूंकि बदरपूर ट्रेडर्स यूनियन को पंजीकृत पट्टे (लीज) के माध्यम से भूमि आबंटित की गई थी इसलिए दि.वि.प्रा. को पट्टे को रद्द करने हेतु विशिष्ट कारण प्रदान करने चाहिए।

iii) कुछ क्लबों के लिए संस्थागत भूमि के आबंटन की शर्तों में अनधिकृत रूप से फेरबदल किया गया है और उनके पट्टे के कागजों की जाँच की गई है। इन्हें व्यावसायिक उद्देश्य हेतु चलाया जा रहा है।

iv) दि.वि.प्रा. को समयसीमा समाप्त पट्टे के नवीकरण पर विचार करना चाहिए। बड़ी संख्या में लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं क्योंकि उनके पट्टों की

Scanned with CamScanner

अवधि काफी समय पहले ही समाप्त हो चुकी है और दि.वि.प्रा. ने न तो उनके नवीकरण और न ही भूमि को फ्री होल्ड करने की नीति बनाई है।

v) दि.वि.प्रा. को सूचित करना चाहिए कि ओखला में नदी के तल पर बहु-मंजिला निर्माण के लिए कैसे भूमि का अनधिकृत रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जानी चाहिए।

vi) चूंकि कल्याण मण्डपों और उत्सव ग्राउंडों हेतु आवश्यकताएँ थोड़ी भिन्न होती हैं इसलिए दि.वि.प्रा. को इस संबंध में अपने प्रस्तावों की जाँच करनी चाहिए और उत्सव ग्राउंड और कल्याण मण्डप दोनों हेतु प्रदान करना चाहिए।

<u>श्री मनीष अग्रवाल</u>

i) टैन्ट माफियों द्वारा दि.वि.प्रा. के कई प्लॉटों का अनधिकृत रूप से उपयोग किया जा रहा है।

ii) दि.वि.प्रा. को वसंत गाँव में उपलब्ध स्थल पर लघु खेल परिसर का निर्माण करने पर

पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि वह स्थल आवास हेतु उपयुक्त नहीं है।

iii) वसंत विहार में दि.वि.प्रा. की भूमि को खाली करने के लिए दिल्ली पुलिस को कहा जाए ।

<u>मद सं. 30/2019</u>

उन व्यक्तियों को वैकल्पिक प्लॉटों का आबंटन जिनकी भूमि दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निपटान योजना के अतंर्गत अधिग्रहित की गई है।

एफ.1(05)2017/एल.एस.बी. (रेज़िडेन्शल)

एजेन्डा मद पर निर्णय आस्थगित किया गया।

<u>मद सं. 31/2019</u>

ओ.एस.बाजपाई बनाम एडमिनिस्ट्रेटर (उपराज्यपाल, दिल्ली) दिनांक 28.05.2010 और 13.07.2007 मामले में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर दिल्ली अपार्टमेंट एक्ट 1986 के प्रावधानों का कार्यान्वयन।

एफ.100(11) 2014/पी.टी. II/सी.एल./दिल्ली अपार्टमेंट एक्ट

Scanned with CamScanner

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव को मद के प्रस्ताव सं. (ii) में एक संशोधन करके अनुमोदित किया गया, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएः "व्यक्तिगत इकाइयों/फ्लैटों/अपार्टमेंटों के संबंध में पट्टे के नवीकरण हेतु शक्ति उपाधअयक्ष, दि.वि.प्रा. को सौंपी जाए।"

मद सं. 32/2019

दिल्ली के क्षेत्रों में 'स्वस्थाने नियमितीकरण' के तहत 15 अगस्त 1950 के बाद बसे शरणार्थियों द्वारा कब्जा की गई भूमि का नियमितीकरण (गडगिल आश्वासन के तहत कवर नहीं है)

एफ.एस.-22(7)72/ओ.एस.बी.

एजेंडा मद में प्रस्तावित मद को अनुमोदित किया गया।

मद सं. 33/2019

प्लॉटों का आबंटन प्राप्त करने हेतु रोहिणी आवासीय योजना, 1981 के पंजीयकों द्वारा झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत करना।

एफ.1(संस्था.) मिस./एल.एस.बी./आर.ओ./2019

"शपथ पत्र" शब्द से पहले 'झूठे' को हटाकर विषय शीर्षक में संशोधन करके एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया क्योंकि निर्णय पूर्व शपथ पत्र पर ध्यान न देने के हैं और बिना जाँच किए यह नहीं कहा जा सकता कि ये झूठे हैं।

मद सं. 34/2019

योजना, जोन-डी में आने वाले दिल्ली में अपने पार्टी कार्यालय को बनाने हेतु पॉकेट-3 बी, डी.डी.यू. मार्ग, नई दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी (राष्ट्रीय स्तर) को आबंटित 'आवासीय' से 'सार्वजनिक एवं गैर सार्वजनिक सुविधाओं में 0.8860 हैक्टेयर (2.189 एकड़) मापन वाले क्षेत्र के भूमि उपयोग का परिवर्तन करने हेतु प्रस्ताव।'

एफ20(15)2015/एमपी

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह मामला आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अनुमोदन और अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए भेजा जाए।

Scanned with CamScanner

मद सं. 35/2019

मिश्रित उपयोग विकास के तहत दुरुपयोग हेतु दंड शुल्क के संबंध में दिल्ली - मुख्य योजना 2021 में संशोधन

एफ.3(10)2014/एम.पी.

एजेंडा मद में संमाविष्ट प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। मामले को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अनुमोदन और अंतिम अधिसूचना हेतु भेजा जाए।

मद सं. 36/2019

होलम्बी कलां में रासायनिक व्यापारियों को भूमि आबंटन हेतु वर्ष 2019-20 के लिए पी.डी.आर. का अनुमोदन।

एफ.100(166)2000/सी.एल./वॉल्यू.IV

श्री ओ.पी.शर्मा ने कहा कि एजेंडा में लाल कुआं की बजाय वॉल्ड सिटी के तिलक बाजार क्षेत्र के रसायनिक व्यापारियों को होलाम्बी कलां में स्थानांनतरित करने का प्रस्ताव था। अतः, एजेंडा को तदनुसार ठीक किया जाना चाहिए।

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद सं. 37/2019

दि.वि.प्रा. में स्टाफ कार ड्राइवर कैडर में विभिन्न पदों हेतु भर्ती विनियमों में संशोधन करना और स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण ग्रेड), स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-II), स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-I) एवं स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष ग्रेड) के पदों हेतु नए भर्ती विनियम बनाना।

एफ.1(मिस.)09/आर.आर./एस.सी.डी./पी.बी. IV/2014

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद सं. 38/2019

अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभार और उपयोग नामांतरण प्रभार के भुगतान के समय को बढ़ाना।

एफ.2 (14)17-18/ए.ओ.(पी)/डी.डी.ए.

Scanned with CamScanner

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। विचार एवं अनुमोदन हेतु इस मामले को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को भेजा जाए।

मद सं. 39/2019

निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में पूर्व निर्धारित दरों (पी.डी.आर.एस.) का निर्धारणः

वित्त वर्ष 2019-20 हेतु रोहिणी आवासीय योजना फेस IV एवं V

वित्त वर्ष 2019-20 हेतु टिकरी कलाँ एवं वित्त वर्ष 2019-20 हेतु नरेला

एफ.2 (204)2018/ए.ओ.(पी.)/डी.डी.ए.

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। विचार एवं अनुमोदन हेतु इस मामले को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को भेजा जाए।

मद सं. 40/2019

दिल्ली में पैदन चलने को बढ़ावा देने हेतु प्रारूप विनियम।

एफ.1(331) 2018/यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी.

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। पैदल चलने को बढ़ावा देने की योजनाओं हेतु तैयारी के लिए अतिरिक्त क्षेत्रों के समावेश पर प्राधिकरण के सदस्यों से सुझाव प्राप्त किए जाए। एजेंडा में उल्लेखित क्षेत्रों में और क्षेत्रों को जोड़ा जा सकता है क्योंकि केवल वही क्षेत्र नहीं है जिन्हें लिया गया है।

मद सं. 41/2019

अनु.जाति/ अनु. जन. के लिए आबंटन हेतु विशेष ऑन लाइन योजना को प्रारंभ करने के लिए प्रस्ताव।

सं. एफ.1(42)2019/समन्वय (एच.)/

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं. 42/2019

शौर्य पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं, युद्ध में मृत सैनिकों की विधवाओं और लड़ाई/युद्ध के दौरान घायल/दिव्यांग हुए व्यक्तियों को 1 बैड-रूम फ्लैट प्रदान करना।

Scanned with CamScanner

एफ.12(मिस.)2018/2017/एल.आई.जी.(एच.)

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव को निम्नलिखित संशोधन के साथ अनुमोदित किया गयाः

"यह योजना केवल अराजपत्रित और गैर कमीशन अधिकारियों के लिए सीमित है।"

मद सं. 43/2019

दिल्ली के न बिके हुए/खाली पड़े ई.एच.एस. फ्लैटों के निपटान प्रणाली के तौर पर ई-नीलामी को जोड़ने के लिए दि.वि.प्रा. (हाउसिंग एस्टेट का प्रबंधन और निपटान) विनियम, 1968 में संशोधन।

सं. एफ3(11) एई(पी)/आर.पी.डी.-10/डी.डी.ए.

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। मामला दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत अनुमोदन हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को भेजा जाए।

मद सं. 44/2019

संस्थागत प्लाटों के लिए न्यूनतम आरक्षित मूल्य की गणना हेतु कारक के पुनः निर्धारण के संबंध में एजेंडा मद सं. 53/2017 में संशोधन।

एफ.12(43)12/आईएल/पार्ट/ऑक्शन

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं. 45/2019

योजना जोन-जे में आने वाली 'मनोरंजन (क्षेत्रीय पार्क)' से 'सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक' में गुजरात एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित मंडी विद्या निकेतन (नया नाम सरदार पटेल विद्या निकेतन) हेतु डेरा मंडी स्थित लगभग 5 एकड़ (24 बीघा), खसरा स.91 मिन.7 बीघा, 7 बिस्वा, 14 मिन. 16 बीघा, 13 बिस्वा क्षेत्रफल वाली भूमि के भूमि उपयोग में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव।

एफ.3(75) 2008-एम.पी./जे-62

Scanned with CamScanner

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। आपत्ति/सुझाव को आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक नोटिस जारी किए जाए।

प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा उठाए गए 'अन्य बिंदु'

श्री विजेंद्र गुप्ता

i) रोहिणी में दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सड़कों को लोक निर्माण विभाग को यथाशीघ्र अंतरित किया जाए और तब तक दिल्ली विकास प्राधिकरण को उनका रखरखाव करना चाहिए

ii) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सामुदायिक भवनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा।

iii) लैंड पूलिंग को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करने के बाद एक मॉडल तैयार करना चाहिए और एक मॉडल के रूप में एक सेक्टर को विकसित करने की योजना बनानी चाहिए ।दिल्ली विकास प्राधिकरण को उन सेक्टरों को प्रोत्साहन और परामर्श देकर प्रमोट करना चाहिए जिनके लिए ज्यादा आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

iv) दिल्ली विकास प्राधिकरण को डीपीआर के कार्य को जल्दी करना चाहिए और अक्टूबर 2019 तक स्व स्थाने पुनर्वास परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए।

श्री सोमनाथ भारती

i) कुम्हार बस्ती में उपलब्ध जमीन का उपयोग सामुदायिक केंद्र के लिए किया जाए ।

ii) दिल्ली विकास प्राधिकरण को युसूफ सराय में स्थित मॉडल स्कूल के लिए भूमि आवंटन पर विचार करना चाहिए ।

iii) मालवीय नगर पुलिस स्टेशन के पास दिल्ली विकास प्राधिकरण की सड़क को लोक निर्माण विभाग को अंतरित किया जाए।

iv) अधचीनी और गुर्जर डेरी दिल्ली विकास प्राधिकरण के सामुदायिक भवनों का समुचित उपयोग किया जाए।

Scanned with CamScanner

v) दिल्ली विकास प्राधिकरण और भवनों के लिए वर्षा जल संचयन अनिवार्य किया जाए ।

vi) रोज गार्डन, हौज खास में नाली से निकले गंदे पानी की दिशा बदल दी जाए।

vii) ट्रांसफार्मरों को लगाने के लिए अपेक्षित भूमि के लिए एनओसी दिया जाए।

viii) ओपन जिम का समुचित रखरखाव किया जाए।

ix) गुलमोहर और डियर पार्कों में गैजिबों के लिए बिजली का कनेक्शन दिया जाए।

x) गुलमोहर पार्क में वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र का निर्माण किया जाए।

<u>श्री ओपी शर्मा</u>

i) विकास प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए कि जिन स्कूलों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटित की गई है वह अपने परिसरों के अंदर पार्किंग की व्यवस्था करें। इन दिशानिर्देशों में अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए भी उपबंध किए जाएं। और स्कूल परिसरों के अंदर राम लीला और अन्य उत्सवों के लिए सुविधाओं का प्रयोग किया जाए।

ii) उन्होंने बताया कि न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को बैंक कॉलोनी में मंदिर को विनियमित करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। यह मंदिर बहुत लोकप्रिय हैं और सुप्रतिष्ठित है इससे छेड़छाड़ न की जाए।

iii) दिल्ली विकास प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सड़कों का समुचित रखरखाव करने में सक्षम नहीं है इसलिए इन्हें लोक निर्माण विभाग /नगर निगम को सौंप दिया जाए।

iv) उन्होने कहा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण के पार्कों का विकास निर्माण कार्य बेतरतीब ढंग से कर हो रहा है। इन पार्कों में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। पार्कों में शौचालयों में केवल यूरिनल्स बनाए जाएं अन्यथा इनका दुरुपयोग हो सकता है।

v) दिल्ली विकास प्राधिकरण कड़कड़डूमा में अपने मेगा परियोजना की स्थिति बताए।

Scanned with CamScanner

vi) दिल्ली विकास प्राधिकरण को डब्ल्यूपी(सी)में दिल्ली हाईकोर्ट के 2017 के आदेशों में यथा उल्लिखित सड़कों पर चिह्नित अतिक्रमण को हटाने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

vii) उनके निर्वाचन क्षेत्र में बनी हुई दुकानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उनकी नीलामी की जाए।

viii) यद्यपि प्राधिकरण ने घरेलू उद्योगों के लिए मुख्य योजना में संशोधन अनुमोदित कर दिए थे लेकिन लोगों को अभी तक उसका लाभ नहीं मिला है क्योंकि नगर निगमों ने अभी तक लाइसेंस जारी नहीं किए हैं।

ix) विभिन्न जन सुविधाओं के लिए आवंटित भूमि क्षेत्र के संबंध में नगर निगमों के साथ परामर्श करके मानक बनाए जाएं।

<u>श्री एस के बग्गा</u>

i) दिल्ली विकास प्राधिकरण को AC-60 में बने कृष्णा नगर पार्क की हालत को सुधारना चाहिए।

<u>श्री मनीष अग्रवाल</u>

i) स्कूलों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित की गई भूमि का प्रयोग अनधिकृत वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है।

ii) आनंद निकेतन में कबाड़ीवालों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए ।

iii) वसंत अपार्टमेंट में दिल्ली विकास प्राधिकरण के सामुदायिक भवन का समुचित उपयोग किया जाए।

iv) बसंत गांव में दिल्ली विकास प्राधिकरण की खाली भूमि में खुले जिम बनाए जाएं।

माननीय उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि प्राधिकरण की बैठक की एजेंडा मदों को समय से परिचालित किया जाए और प्राधिकरण की बैठकें हर महीने के दूसरे मंगलवार को आयोजित की जाए। यदि उस दिन कोई छुट्टी हो तो वह बैठक अगले कार्य दिवस को आयोजित की जाए।

Scanned with CamScanner

माननीय उपराज्यपाल ने बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रित व्यक्तियों और वरिष्ठ अधिकारियों का धन्यवाद किया।

बैठक अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

Scanned with CamScanner